अपराह्न 12.02 बजे

[हिन्दी]

याचिका समिति

तेरहवां प्रतिवेदन

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं याचिका समिति का 13वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय प्रधान मत्री जी।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, मुझे एक निवेदन करना है। प्रधान मंत्री जी के वक्तव्य के बाद जो नेतागण स्पष्टीकरण चाहते हैं, उन्हें उसकी अनुमति दी जा सकती है।. . .*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब, माननीय प्रधान मंत्री जी।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): वे तालियां क्यों बजा रहें है?

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा): वे राजग के सहयोगी दलों को घेरने के लिए तालियां बजा रहे हैं।

अपराह्न 12.03 बजे

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

अयोध्या मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के बाद अयोध्या में वर्तमान स्थिति

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) :अपाध्यक्ष महोदय, मैं अयोध्या मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय द्वारा कल दिए गए अंतरिम आदेश के बारे में एक वक्तव्य देने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सबसे पहले, मै स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि सरकार न्यायालय कके आदेश को अक्षरश: अमल में लाएगी। मैने न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाने से पहले ही 11 मार्च को लोक सभा में यही बात कही थी। उसे मै आज दोहरा रहा हूं।

मैंने संसद और संसद के बाहर अनेक अवसरों पर यह कहा है कि अयोध्या का मुद्दा या तो संबंधित पक्षों के बीच आपसी समझौते से अथवा न्यायालय के फैसले से सुलझाया जा सकता है। यही बात 25 फरवरी, 2002 को संसद के दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति जी के सम्बोधन के जरिए भी सरकार द्वारा दोहराई गई थी।

सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ से यह अनुरोध किया है कि वह अयोध्या में विवादित स्थल के बारे में टाइटल स्यूट पर अपना फैसला शीघ्र दे। इसके साथ ही, पिछले कुछ हफ्तों में अयोध्या मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए हिन्दू-मुस्लिम समुदायों के अनेक संगठन और व्यक्ति मुझसे मिले हैं। सरकार को इस बात की खुशी है कि दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। कांची कामकोटि पीठम् के श्रद्धेय जगद्गुरू शंकराचार्य ने कतिपय मुस्लिम संगठनों के सदस्यों और मुस्लिम समुदाय के प्रमुख व्यक्तियों के साथ इस मुद्दे का सौहार्दपूर्ण तथा आपसी स्वीकार्य समाधान निकालने की संभावना पर विचार-विमर्श किया। यधपि उनके प्रयासों से अभी तक वांछित परिणाम नहीं निकले हैं, फिर भी सरकार का मानना है कि दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत जारी रहनी चाहिए। यदि बातचीत से इस मुद्दे का कोई आपसी स्वीकार्य हल नहीं निकलता है तो दोनों पक्षों को न्यायालय के निर्णय का पालन करना चाहिए।

सरकार को राम जन्मभूमि न्यास से 08 मार्च, 2002 को एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें अयोध्या में अधिग्रहीत गैर-विवादित भूमि पर 15 मार्च को सौ दिन के उसके पूर्णाहुति यज्ञ के भाग के रूप में, एक सांकेतिक पूजा करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था। न्यास अयोध्या में विवादित स्थल से लगी इस 67 एकड़ अधिग्रहीत भूमि में से 42 एकड़ का स्थायी पट्टेदार है। न्यास इस अधिग्रहीत गैर-विवादित भूमि में से एक एकड़ अतिरिक्त जमीन का भी स्वामी है।

इससे पहले कि सरकार इस मामले में कोई निर्णय लेती, श्री मोहम्मद असलम भूरे द्वारा उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर दी गई थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, यह अनुरोध/किया गया कि न्यायालय अधिग्रहीत भूमि पर पूजा करने की अनुमति देने से सरकार को रोके। न्यायालय ने याचिका और आवेदन पत्र की 13 मार्च को सुनवाई हेतु विभिन्न निर्देशों के लिए स्वीकार कर लिया।

सरकार ने तब यह रुख अपनाया कि पूजा करने अथवा न करने की अनुमति देने का निर्णय 13 मार्च को उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले आदेशों के अनुसार लिया लाएगा। सरकार की ओर से कोई हलफनामा अथवा लिखित अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया गया था। यह तो केवल न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर महान्यायवादी ने, याचिकाकर्ता के वकील की बहस समाप्त होने के उपरांत ही, 1994 में फारूकी

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले की व्याख्या करते हुए, यह उल्लेख किया कि पूजा करने हेतु पास की गैर-विवादित भूमि का अस्थाई तौर पर इस्तेमाल करना वर्जित नहीं है और इससे उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित यथा-स्थिति बनाए रखने के आदेश का उल्लंघन नहीं होगा क्योंकि यथा-स्थिति बनाये रखने का यह आदेश केवल विवादित स्थल से संबंधित है न कि गैर-विवादित अधिग्रहीत भूमि से।

सरकार ने 25 फरवरी, 2002 को संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति के सम्बोधन के जरिए इस बात को स्पष्ट कर दिया था। मैं संबंधित वाक्य को उद्धृत कर रहा हूं : "कानूनी रिसीवर होने के नाते भारत सरकार अयोध्या में इस विवादित स्थल पर यथा-स्थिति कायम रखने के लिए कर्तव्यबद्ध है।"

महान्यायवादी का यह संवैधानिक कर्तव्य बनता है कि जब न्यायालय द्वारा कहा जाए तो वह किसी कानून अथवा न्यायालय के किसी फैसले की व्याख्या करे। जब उच्चतम न्यायालय ने कल उनसे पूछा कि क्या अयोध्या में गैर-विवादित अधिग्रहीत भूमि पर सांकेतिक पूजा अनुमेय है, तो महान्यायवादी ने यही किया।

महान्यायवादी ने कहा कि यदि उच्चतम न्यायालय के किसी पिछले फैसले अथवा आदेश के कारण पूजा वर्जित न भी हो तो भी सुस्पष्ट शर्तों तथा कड़े प्रतिबंधों के तहत ही इसकी अनुमति दी जा सकती है जिसका उन्होंने उदाहरण देकर न्यायालय के विचारार्थ संकेत किया। उन्होंने आगे कहा कि यदि किन्हीं अतिरिक्त सुरक्षा उपायों और प्रतिबंधों को आवश्यक समझा जाए तो उन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है।

तथापि, न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि रिट याचिका का निपटान होने तक, कोट रामचन्द्र गांव में 67 एकड़ भूमि जो केन्द्र सरकार के अधिकार में है, पर किसी प्रकार की पूजा या धार्मिक कार्यकलाप करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि उसका यह आदेश एक अंतरिम आदेश है तथा लंबित रिट याचिका के मामले में आगे भी आदेश पारित किए जा सकते हैं।

इन सब बातों से यह स्पष्ट है कि सरकार 15 मार्च को अयोध्या में गैर-विवादित अधिग्रहीत भूमि पर सांकेतिक पूजा करने के मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करने की अपनी वचनबद्धता पर कायम है।

मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अयोध्या में कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा उच्चतम न्यायालय के 13 मार्च के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त तैयारियां कर ली गई हैं।

मैं देश के सभी राजनीतिक तथा गैर-राजनीतिक संगठनों से अपील करता हूं कि वे शांति तथा साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए केन्द्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकारों के साथ सहयोग करें।

[गंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5159/2002]

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आप जानते हैं कि इस सभा में वक्तव्य के बारे में कोई स्पष्टीकरण मांगने की परंपरा नहीं है। आप इस पर चर्चा चाहते हैं अथवा नहीं, यह एक अलग मुद्दा है और इसके बारे में मैं अभी निर्णय नहीं ले सकता।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि यह मामला काफी संवेदनशील है, इसलिए एक विशेष मामले के रूप में कुछ दलों के नेताओं को स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दी जायेगी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री जयपाल रेड्डी जी की बात शांति से सुनते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंडल जी, कृपया शांतिपूर्वक बैठ जाइये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : रेड्डी जी, कृपया सिर्फ संक्षेप में स्पष्टीकरण मांगे।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : महोदय, प्रधान मंत्री जी के वक्तव्य ने उनकी बातों को स्पष्ट करने की बजाय हमारी शंकाओं को और अधिक बढ़ा दिया है।. . .*(व्यवधान)* महोदय, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि यह आदेश बहाल रखा जाये. . .*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, यदि वे इस तरह व्यवहार करेंगे और हमें अपनी बात नहीं कहने देंगे तो हम भी ऐसा ही करेंगे। सभा में इस तरह का व्यवहार करने का यह कोई तरीका नहीं है. . .*(व्यवधान)* उनके अपने प्रधान मंत्री जी अन्य सदस्यों से सहयोग करने के लिए कह रहे हैं और उनके अपने दल के सदस्य दूसरे सदस्यों को बोलने नहीं दे रहे हैं।. . .*(व्यवधान)*